न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–16 / 2020

डोमनी देवी.................................वादी

बनाम

अनुपिया देवी वगैरह...प्रतिवादीगण

19.11.24 अभिलेख आज वादी की ओर से प्रतिस्थापन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–21.10.2024 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज की गई है।

वादी ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0–1 अनुपिया देवी की मृत्यु दिनांक–15.10.2024 को अपनी एकमात्र पुत्री लखिया देवी को छोड़कर हो गई है जो वर्तमान वाद में पूर्व से प्रतिवादी सं0–2 के रूप में प्रतिस्थापित हैं। अतः मृत प्रतिवादी सं0–1 का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाना आवश्यक है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से सम्पुष्ट एवं समय–सीमा के अंदर दाखिल है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–1 नाम विलोपित करने की कृपा की जाए।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद के प्रतिवादी सं0–1 अनुपिया देवी आवश्यक पक्षकार हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं उनके एकमात्र पुत्री लखिया देवी पूर्व से ही प्रतिवादी सं0–2 के रूप में प्रतिस्थापित हैं। अतः मृत प्रतिवादी सं0–1 अनुपिया देवी का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक है। प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त आवेदन पर अनापत्ति दर्ज है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित एवं समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल है। तद्नुसार वादी का उपरोक्त आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित मृत प्रतिवादी सं0–1 अनुपिया देवी का नाम वादपत्र से विलोपित करें तथा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अभिलेख दिनांक– 28-11-2025 वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।